रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1162] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 25, 2007/आश्विन 3, 1929
No. 1162] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 25, 2007/ASVINA 3, 1929

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2007

का.आ. 1597(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री मुकुल मुद्गल की अध्यक्षता में "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" का गठन इस बात का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए करती है कि दीनदार अंजुमन को विधिविरुद्ध संगठन घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं ।

[फा. सं. 14017/10/2007-एन. आई.-III]

बी. भामथी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2007

S.O. 1597(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes the "Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Mr. Justice Mukul Mudgal, Judge of the High Court of Delhi for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Deendar Anjuman as unlawful association.

[F. No. 14017/10/2007-NI-III]

B. BHAMATHI, Jt. Secy.

3990 GI/2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.